

प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

08.11.2025 / प्रादेशिक समाचार / 15:00 बजे

संसद सत्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली दिसंबर से 19 दिसम्बर तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा कर रही है जो लोकतंत्र को मजबूत करने सहित देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करे।

न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखने व राजमार्गों से आवारा मवेशियों और अन्य पशुओं को हटाने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने देश में आवारा कुत्तों के प्रबंधन से जुड़े मामले की सुनवाई में हर शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए उपयुक्त तरीके से बाड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के तहत स्थानीय नगर निकायों से ऐसी जगहों से पशुओं को आवश्यक टीकाकरण व नसबंदी के बाद निर्धारित आश्रय स्थलों पर भेजने को कहा है। शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है।

वंदे मातरम

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के डेढ़ सौ वर्ष पूर्ण होने पर केन्द्रीय संचार ब्यूरो शिमला द्वारा कल संगीतमय सामूहिक गान किया गया। इसमें पत्र सूचना कार्यालय और केन्द्रीय संचार ब्यूरो के सभी अधिकारी, कलाकार और कर्मचारी शामिल हुए। दूरदर्शन व आकाशवाणी केन्द्र शिमला, केन्द्रीय विद्यालयों, सैन्य प्रशिक्षण कमान, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान और भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कार्यालयों में भी वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया।

जीएसटी

अगली पीढ़ी के जी.एस.टी. सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवास सामग्री और सेवाओं पर कर में कमी की पेशकश करके आवास और निर्माण क्षेत्र को राहत प्रदान की है। नए सुधार के साथ सीमेंट पर कर की दर पहले के 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले से भवन निर्माण

की लागत में कमी आई है और मकान खरीददारों और डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। पेश है ये रिपोर्ट.....

अगलीपीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवास सामग्री और सेवाओं पर कर में कमीकी पेशकश करके आवास और निर्माण क्षेत्र को राहत प्रदान की है। नए सुधार के साथ सीमेंटपर कर की दर पहले के 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले से भवन निर्माण की लागत में कमी आई है और मकानखरीदारों और डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। इसके अलावा संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉकोंपर अब 12 प्रतिशत की जगह केवल 5 प्रतिशतजीएसटी लगेगा, जिससे फर्श और फिनिशिंग की लागत कम हो जाएगी। इसीप्रकार, रेत-चूने की ईंटों पर भी कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है,जिससे आवास निर्माण की लागत कम हो गई है। इसके साथ ही ईंटों के जॉब वर्कपर जीएसटी को भी 12 प्रतिशत के कर स्लैब से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण आवास की लागत कम हुई है और ईंट भट्टे चलाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग— एमएसएमई को समर्थन मिला है। संशोधित ढांचे के तहत यह युक्तिकरण न केवल निर्माण क्षेत्र में एमएसएमई को मजबूत कर रहा है और रोजगार पैदा कर रहा है, बल्किघरों और बुनियादी ढांचे को और अधिक किफायती भी बना रहा है।

किन्नौर पुलिस

किन्नौर जिला के नए पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार शर्मा ने कहा है कि उनकी टीम का फोकस नशे की रोकथाम पर रहेगा। रिकांगपिओ में कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य जनता के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना रहेगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में नशा युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, इसलिए किन्नौर पुलिस इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य करेगी और किसी भी नशा तस्कर या चिट्ठा कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा।

मेरा जो अपरोच रहेगा काम करने का वो पब्लिक सेंटर होगा, सिटिजन सेंट्रिंग होगा। मेरी पूरी टीम इस डारायक्शन में काम करेगी। और नशे की बजह से हमारी पीढ़ीया बर्बाद हो रही है। हम जिला किन्नौर पुलिस पूरी टीम इस विनेस को टेकल करने में एडी चोटी का जोर लगाएगी। हिमाचल सरकार का ये बड़ा फैसला है कि जो भी चिट्टा तस्कर है या दूसरे नशो के तस्कर है। उनको स्ट्रोगली डील किया जाए। विद एम आई एम हैंड महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जितने भी टूरिस्ट यहां आए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उनके लिए बेहतर ट्रैफिक का पैसेज प्रोवाइड करना ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा।

उज्जवला योजना

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तीसरे चरण के तहत मण्डी ज़िले में पात्र गरीब महिलाओं को निशुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में ज़िला उज्ज्वला समिति का गठन किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना से गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ रसोई ईंधन की सुविधा प्राप्त होगी जिससे न केवल उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

